

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 318] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 30, 1982/ कार्तिक 8, 1904
No. 318] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 30, 1982/KARTIKA 8, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

सं० 235/82- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 1982

सं० का० नि० 634 (अ) :- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और तम्बाकू अधिनियम 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के तारीख 30 अक्टूबर, 1982 की अधिसूचना सं० 215/82 के० उ० शु० की अधिवृत्ति करने हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की प्रथम

अनुसूची की सब सं 1 की उपसब (1) के अंतर्गत आने वाली धीरे-धीरे मूल्यानुसार शुल्क के प्रभाव नीचो के लिए तीन सौ नब्बे रुपये प्रति क्विंटल टैरिफ मूल्य नियत करती है:—

परन्तु इस अधिसूचना की कोई भी बात, ऐसी चीजों का लागू नहीं होगी, जिसकी बाबत केन्द्रीय सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उप धारा (2) के खंड (च) के अधीन किए जाने की अपेक्षा करती है।

2 यह अधिसूचना 1 नवम्बर, 1982 से प्रवृत्त होगी।

[सं० 232/82 के० उ० शु०/का० सं० 7/1/82 के० उ० शु०-1]

आर० देव, अवर सचिव,

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

No. 232/82-CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 30th October, 1982

G.S.R. 634(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 215/82-Central Excises, dated the 30th September, 1982, the Central Government hereby fixes a tariff value of three hundred and ninety rupees per quintal of sugar falling under sub-item (1) of Item No. 1 of the First Schedule to the said Act and chargeable with duty ad-valorem:

Provided that nothing contained in this notification shall apply to sugar required by the Central Government to be sold under clause (f) of sub-section (2) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955).

2. This notification shall come into force on the 1st day of November, 1982

[No. 232/82-CE/F. No. 7/1/82-CX. 1]

R. DEB, Under Secy.